न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

1. सुनील कुमार घांची पुत्र श्री रामाराम घांची, मैनेजर, मैसर्स श्री राम दूध डेयरी, बसन्तबहार, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
2. रामाराम पुत्र श्री हीराजी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स रामा डेयरी, बसन्तबहार, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, स्थाई पताः जीनगर वास, हनुमान मन्दिर तीन रास्ता, मण्ड़ार, तह0 रेवदर, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No.70/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः श्री कौशिक धवल, प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 27 फरवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक ी मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 02–7–2025 को मैसर्स श्री राम दूध डेयरी, (रामा डेयरी), बसन्तबहार, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता व मैनेजर सुनील कुमार घांची पुत्र श्री रामाराम घांची से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर (लूज) का नमूना संख्या S-2740 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1072/Act/2025/1072 दिनांक 09–7–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्तगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दहिया व अधिवक्ता श्री कौशिक धवल ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी। प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दिनांक 27–01–2026 को प्रतिवादी अभियुक्तगण की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 27–2–2026 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी अभियुक्तगण के अधिवक्ता श्री धवल की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी अभियुक्तगण के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02–7–2025 को श्री राम दूध डेयरी, बसन्त बहार, मण्ड़ार में दौराने जांच खाद्य कारोबारकर्ता के रुप में सुनिल कुमार घांची को बताया है वह गलत बताया है तथा मालिक की हैसियत से आम जनता को पनीर बेचने का गलत कथन किया है। सुनील कुमार को गलत रुप से अभियुक्त बनाया गया है। प्रतिवादी अभियुक्त की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है। प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा उक्त डेयरी में अच्छी गुणवत्ता का पनीर विक्रय किया जाता है जिसमें कोई मिलावट नही की जाती है। प्रतिवादी अभियुक्तगण ने ऐसा कोई अपराध कारित नही किया गया है जो आम जन के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध अभियुक्तगण खारिज किया जावे।

.......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

(3) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 02–7–2025 को 03–05 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स श्री राम दूध डेयरी, रामाराम पुत्र हीराजी (रामा डेयरी), बसन्त बहार, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मैनेजर व विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी सुनील कुमार घांची पुत्र श्री रामाराम घांची, निवासी– जीनगरवास, हनुमान मन्दिर तीन रास्ता, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्री राम दूध डेयरी, रामाराम पुत्र हीराजी (रामा डेयरी), बसन्त बहार, मण्ड़ार के निरीक्षण के दौरान मैसर्स श्री राम दूध डेयरी, रामा डेयरी, बसन्त बहार, मण्ड़ार के अन्दर एक एल्युमिनियम के कैन में लगभग 08 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) आमजन को बिक्री हेतु रखा हुए पाया, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता सुनील कुमार घांची पुत्र श्री रामाराम घांची को गवाह श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स श्री राम दूध डेयरी, रामाराम पुत्र हीराजी (रामा डेयरी), बसन्त बहार, मण्डार की दुकान के अन्दर एक एल्युमिनियम के कैन में आमजन को बिक्री हेतु रखे हुये लगभग 08 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) में से 01 (एक) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/– (रुपये तीन सौ बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता सुनील कुमार घांची पुत्र श्री रामाराम घांची को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलोग्राम पनीर (लुज) को प्रतिवादी विक्रेता के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर बराबर मात्रा (250–250 ग्राम) में भरा एवं प्रत्येक नमूना बोतल में फार्मेलीन की 20–20 बूंदे डालकर प्रत्येक नमूना बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2740, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर(लुज) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता सुनील कुमार घांची पुत्र श्री रामाराम घांची व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) के चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा पनीर (लुज) की चारों नमूना बोतलों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता सुनील कुमार घांची पुत्र श्री रामाराम घांची तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता सुनील कुमार घांची पुत्र श्री रामाराम घांची व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व

.......पेज तीन पर

न्यायिक मजि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज.)

प्राधि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 03–7–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 02–7–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स श्री राम दूध डेयरी, रामाराम पुत्र हीराजी (रामा डेयरी), बसन्त बहार, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही से खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) के नमूना संख्या S-2740 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1072/Act/2025/1072 दिनांक 09–7–2025 में खाद्य पदार्थ पनीर (लुज)का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स श्री राम दूध डेयरी, (रामा डेयरी) बसन्तबहार, मण्ड़ार का प्रोपराईटर रामाराम घांची पुत्र हीराजी, निवासी–जीनगरवास, हनुमान मन्दिर तीन रास्ता, मण्ड़ार, तह0 रेवदर, जिला–सिरोही (प्रतिवादी संख्याः 2) है, जिसके नाम से मैसर्स श्री राम दूध डेयरी, मण्ड़ार में खाद्य पदार्थ विक्रय की अनुप्ति ली हुई है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी रामाराम घांची पुत्र हीराजी की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स श्री राम दूध डेयरी (रामा डेयरी), बसन्तबहार, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता व मैनेजर सुनील कुमार घांची पुत्र रामाराम घांची द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) (नमूना संख्या S-2740) के विक्रय हेतु प्रतिवादी रामाराम घांची पुत्र हीराजी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, श्री राम दूध डेयरी, (रामा डेयरी), बसन्तबहार, मण्ड़ार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, स्थाई पताः जीनगरवास, हनुमान मन्दिर तीन रास्ता, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी रामाराम घांची पुत्र हीराजी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, श्री राम दूध डेयरी (रामा डेयरी), बसन्तबहार, मण्ड़ार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 27 फरवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)